

क्रमांक:-एफ-7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/पार्ट/2020-21/12 दिनांक : 08 जनवरी 2021
प्राचार्य,
समस्त राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध के लिये प्रवेश प्रक्रिया
बाबत।

संदर्भ:-आयुक्तालय का समसंख्यक पत्रांक 1355 दिनांक 24 दिसम्बर 2020 ।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये स्नातकोत्तर
-पूर्वाद्ध के लिये ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

शैक्षणिक सत्र 2020-21

ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम - स्नातकोत्तर - पूर्वाद्ध

क्र०सं०	विवरण	वार व तिथि
1	महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	11 जनवरी 2021 - सोमवार
2	(अ)अन्तरिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	12 जनवरी 2021 - मंगलवार
	(ब)अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की अंतिम तिथि	18 जनवरी 2021 - सोमवार
	(स)अभ्यर्थियों द्वारा ई-मित्र पर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	19 जनवरी 2021 - मंगलवार
	प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन व शिक्षण कार्य प्रारम्भ	20 जनवरी 2021 - बुधवार

श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये पुनः ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम

क्र०सं०	विवरण	वार व तिथि
1	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	21 जनवरी 2021 - बुधवार
2	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	24 जनवरी 2021 - रविवार
3	नवीन प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑन लाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	25 जनवरी 2021 - सोमवार
4	(अ)आवश्यकतानुसार रिक्त स्थानों के लिये अंतरिम प्रवेश/प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	25 जनवरी 2021 - सोमवार
	(ब)अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने एवं ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि	29 जनवरी 2021- शुक्रवार
5	नव प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	30 जनवरी 2021 - शनिवार

कोरोना कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच महाविद्यालय द्वारा सेनेटाईजर, सोशयल डिस्टेंसिंग व मास्क आदि उपयोग करते हुये आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(संदेश नम्बर)
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
दिनांक : 08 जनवरी 2021

क्रमांक:-एफ-7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/पार्ट/2020-21/12
प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

संयुक्त निर्देशक (अकादमिक)